

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 19.03.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना रुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 74/24 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार पाल पुत्र डालचन्द निवासी नारायण पुरवा थाना रुरा कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 11/24 धारा 354ख/506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र कुंवर जी निवासी नवीपुर थाना राजपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 258/22 धारा 323/392/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अमरदीप उर्फ छोटे पुत्र सोभरन लाल निवासी ग्राम जल्लापुर सिकन्दरा कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त श्रीकिशन पुत्र कुन्दन नायक निवासी ग्राम हरवंशपुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के अभियुक्त के कब्जे से 25 अदद ट्रेटा पाउच (टिवन टावर ब्राण्ड) अवैध देशी नाजायज शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 79/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त सोबरन सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम पुलन्दर थाना मूसानगर कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 30 अदद क्वार्टर देशी ट्विन टावर ब्राण्ड नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 55/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शिव कुमार पुत्र चन्द्रशेखर निवासी हवासपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 81/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त चरन सिंह पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम सैदलीपुर थाना बरौर कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 16 अदद क्वार्टर देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 15/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र बलदेव निवासी आलमपुर खेडा थाना रसूलाबाद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 15 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 83/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवसागर पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम उसरी थाना रसूलाबाद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 42 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 85/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त विमलेश कठेरिया पुत्र गोले कठेरिया निवासी सुज्जा निवादा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर अभियुक्त के कब्जे से 22 क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 64/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र रामचन्द्र गौतम निवासी ग्राम भोलानिवादा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 25 क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 66/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. अनिल गौतम पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम लोधीपुर थाना गजनेर कानपुर देहात 2. राजू पुत्र महादेव निवासी ग्राम लोधीपुर थाना गजनेर कानपुर देहात अभियुक्त गण के कब्जे से 04 प्लास्टिक की पिपियों में 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 60/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 16 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।